न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 01/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 11.01.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/1

वादी
ओमप्रकाश पुत्र मेघाराम जाति देवासी निवासी साण्डिया तहसील सोजत
बनाम
प्रतिवादी
1.भैराराम पुत्र चन्दाराम जी उम्र वयस्क
2. a- चैनाराम पुत्र तेजाराम जी उम्र वयस्क
b- गणपत पुत्र तेजाराम जी उम्र वयस्क
3.चम्पालाल पुत्र चन्दाराम जी उम्र वयस्क
4.बगदाराम पुत्र जसाराम जी उम्र वयस्क
5.मिश्रिलाल पुत्र भालाराम जी उम्र वयस्क
6.जोगाराम पुत्र मिश्रिलाल जी उम्र वयस्क
जतियान बावरी निवासीगण निमाज रोड राजकीय स्कुल के सामने कुशालपुरा तह. रायपुर
7. श्रीमान तहसीलदार रायपुर

दावा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 वादी अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री मनीष साहू एवं भागीरथ तैली उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 22.04.2025

वादी की ओर से वकील श्री विकास आसरवा द्वारा दावा बाबत् वादपत्र धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादी खरीदसुदा कब्जाकाश्त मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम कुशालपुरा पटवार मण्डल कुशालपूरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पिपलिया कला तह. रायपुर जिला पाली के खसरा न. 272/16 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272/2 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272/9 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, कुल 4 खसरे 0.3236 किस्म गै.मु.बाडा आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि दिनांक 28.12.2021 को वादी ने जरिये विक्रय विलेख खरिद कि है बेचान पंजियन के समय दस्तावेज मे कुछ कमिया रह गई जिसका शुद्विपत्र दिनांक 29.12.2021 को लिखाया जाकर उपपंजीयन अधिकारी रायपुर के समक्ष पंजीयन करवाया जिसकी खरीद रजिस्ट्री, शुद्विपत्र एंव चालू जमाबंदी की नकल सम्वत् 2078 कर वाद के साथ पेश की जा रही है जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। वैचानकर्ता ने दिनांक 28.12.2021 को मुझ खरीददार को वादग्रास्त खसरा नम्बरान् 272/16, 272/2, 272, 272/9 की भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से वादी की कब्जाकाश्त उक्त भूमि पर निरन्तर चला आ रहा है। मै वादी किसी कारणवश बाहर गया हुआ था तब पीछे से दिनांक 05.01.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 ने वादी की कृषि भूमि मे करीब आधा बीघा पर अवैध रूप से कब्जा कर पुराने कांटे लाकर बाडे व झोपडीया आदि बना दी व दिनांक 06.01.2022 को वादी मौके पर पहुंचा तब उक्त जानकारी वादी को हुई तब वादी ने प्रतिवादीगण को कहा की यह मेरी खरीदशुदा कृषि भूमि है तो प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 ने वादी के साथ अश्लील गाली गलौच की तथा वादी को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि प्रवेश करने से रोंका और कहा की हम जाति से बावरी है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

यदि तुझे अपना जीवन प्यारा है तो उक्त कृषि भूमि हम सब प्रतिवादीगण के नाम करवा दे वरना तुझे बलात्कार, लज्जा भंग, लुट, डकैती, आगजनी, एस सी, एसटी जैसे झूठे मुकदम्मे मे फसाकर जीवन भर के लिए जेल भिजवा देंगे। वादी ने लाखो रूपये देकर कषि कार्य करने हेंतु कृषि भूमि खरीदी है। यदि वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 के कब्जे से वादी की खातेदारी भूमि नही दिलाई जाती है तो वादी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा तथा वादी अपने जीवनभर की कमाई खो देगा तथा वादी के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी इसलिए वादी यह वाद वास्ते कब्जा प्राप्ति एवम् स्थायी निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान के समक्ष अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा हेतु पेश कर रहा है। वादी के वाद पत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 के कब्जे से नही दिलाया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 वादी की खरीदशुदा कब्जाकाश्त मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि से बेदखल नही किये जाते है तो वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ती किसी भी सुरत मे सम्भव नही होगी। प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 जाति बावरी है जो अनुसूचित जाति से आते है प्रतिवादीगण आदतन अपराधी है वादी को बिना किसी आधार के झुठे मुकदम्मो मे फसाकर जेल भिजवाया जा सकता है इसलिए वादी के पास न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नही है इसलिए वादी अपने जीवन हक अधिकारो की सुरक्षा हेतु यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 07 भूमिधारी है इसलिए प्रतिवादी संख्या 07 को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी संख्या 07 राजकीय कर्मचारी है जिसके विरूद्व वाद पेश करने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80 2 सी.पी.सी. के तहत् अनुमति लेकर यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है अनुमति का प्रार्थना पत्र साथ संलग्न है। बिनायदावा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 वादी की अनुपस्थिति मे अवैध रूप से वादी की खरीदशुदा कब्जाकाशत मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि मे दिनांक 05.01. 2022 को पुराने कांटे डालकर बाडे व कच्ची झोपडिया बनाकर अवैध अतिक्रमण करने पर व दिनांक 06.01.2022 को वादी को अपने खातेदारी की कृषि भूमि मे जाने से रोकने पर बमुकाम ग्राम कुशालपुरा रायपुर जिला पाली मे वाद उत्पन्न होता है। डिक्री वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 के इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश फरमावे की वाद के पद संख्या 01 मे वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम कुशालपुरा पटवार मण्डल कुशालपूरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पिपलिया कला तह. रायपुर जिला पाली के आयी हुई है जिसके खसरा न. 272/16 272 272/2 272/9 वादी की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 के द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है। जिसका अवैध कब्जा हटाया जाकर वादी को पुनः कब्जा दिलाये जाने का आदेश फरमावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 के द्वारा कब्जा नही हटाने की सूरत मे जरिये पुलिस इमदाद के प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 के खर्चे से कब्जा अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश फरमावे। डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 के इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे की वाद के पद संख्या 01 मे वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम कुशालपुरा पटवार मण्डल कुशालपूरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पिपलिया कला तह. रायपुर जिला पाली के आयी हुई है जिसके खसरा न. 272/16 272 272/2 272/9 वादी के उपयोग उपभोग काशत मुतालिक समस्त कार्य करने मे किसी प्रकार की दखलनंदाजी व बाधा उत्पन्न नही करे और ना ही किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि करे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

इसके लिये प्रतिवादीगण स्वंय व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर हाली ऐंजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पांबद फरमावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष साहू वगैरह ने वकालतनामा मय जबावदावा प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया हैं जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं करने से उक्त प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 02 प्रतिवादी तेजाराम के स्थान पर चैनाराम,गणपत पिसरान तेजाराम को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये हैं।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया, जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं करने से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर मौका कमिश्नर रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी करने के आदेश दिये गये हैं। आदेश की पालना में अधिवक्ता श्री भवानी सिंह सोलंकी द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जो संलग्न पत्रावली की गई।

प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पुत्र मेघाराम ने जरिये अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी व 22 नियम 03 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी मय वकालतनामा मय संशोधित वादपत्र पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया, जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं करने से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी व 22 नियम 03 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी श्री ओमप्रकाश को बतौर वादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी, नोट प्रेस किया गया हैं।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी वास्ते भेराराम व रमेश वगैरह की पत्रावली समेकित करने हेतु पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। चूंकि उक्त पत्रावली पूर्व में ही निस्तारण हो चुकी है। इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी वास्ते भेराराम व रमेश वगैरह की पत्रावली समेकित करने का खारिज किया जाता हैं।

पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। जो संलग्न पत्रावली की गई। वादी के समर्थन में मुख्य साक्ष्य वादी का शपथ पत्र एवं गवाह का शपथ पत्र पेश हुआ है। जो संलग्न पत्रावली किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। इसके संबंध में वादी एवं गवाह के बयान लिये जाकर पत्रावली संलग्न किये गये हैं। जिरह बंद की गई हैं। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये हैं।

वादी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा पाया गया हैं इसीलिए प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया हैं। इस पर उपस्थित प्रतिवादीगण ने बताया कि वादग्रस्त आराजी पर हम प्रतिवादीगण 40–50 वर्षो से निवास कर रहे हैं।वादी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नही हैं इसीलिए उक्त वादपत्र खारिज करने योग्य हैं।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (प्यावर)

उभयपक्ष बहस एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक से अध्ययन किया गया एवं बहस, प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादपत्र एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि के अवलोकन से हमने पाया कि वादी की खरीदसुदा मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम कुशालपुरा पटवार मण्डल कुशालपूरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पिपलिया कला के खसरा न. 272/16 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272/2 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272/9 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, में वादी मुख्यतः बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है। प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजी के उत्तर दिशा में तेजाराम,गणपतलाल पि. चन्द्राराम द्वारा कांटो की बाड कर कब्जा कर रखा हैं तथा झोंपडी बना रखी हैं। तेजाराम, गणपतलाल के दक्षिण दिशा में भेराराम पुत्र चन्द्राराम ने भी कांटो की बाड कर झोपडी बना कर कब्जा कर रखा हैं। भेराराम के दक्षिण दिशा में चम्पालाल पुत्र चन्द्राराम द्वारा कांटो की बाड लगाकर कर कब्जा कर रखा है। तथा कुछ हिस्सों पर नया पक्का निर्माण हो रखा हैं उपरोक्त निर्माण कार्य ताजा/नया किया हुआ प्रतीत हो रहा हैं। उक्त पत्रावली में प्रतिकूल धारणा के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

लिहाजा मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड का अवलोकन से वादी की ही वादग्रस्त आराजी होने से तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा किया हुआ होने से प्रतिवादीगण को बेदखली करने के आदेश दिया जाना एवं वादी को कब्जा दिलाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम कुशालपुरा पटवार मण्डल कुशालपूरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पिपलिया कला के खसरा न. 272/16 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272/2 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272/9 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा में प्रतिवादीगण से वादी को कब्जा दिलाने के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रतिवादीगण को बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं। वादी की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहसीलदार रायपुर, मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

वादी
ओमप्रकाश पुत्र मेघाराम जाति देवासी निवासी साण्डिया तहसील सोजत
बनाम

प्रतिवादी
1.भैराराम पुत्र चन्दाराम जी उम्र वयस्क
2. a- चैनाराम पुत्र तेजाराम जी उम्र वयस्क
b- गणपत पुत्र तेजाराम जी उम्र वयस्क
3.चम्पालाल पुत्र चन्दाराम जी उम्र वयस्क
4.बगदाराम पुत्र जसाराम जी उम्र वयस्क
5.मिश्रिलाल पुत्र भालाराम जी उम्र वयस्क
6.जोगाराम पुत्र मिश्रिलाल जी उम्र वयस्क
जतियान बावरी निवासीगण निमाज रोड राजकीय स्कुल के सामने कुशालपुरा तह. रायपुर
7. श्रीमान तहसीलदार रायपुर

दावा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण श्री भागीरथ तैली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम कुशालपुरा पटवार मण्डल कुशालपूरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पिपलिया कला के खसरा न. 272/16 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272/2 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा, खसरा न. 272/9 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु.बाडा में प्रतिवादीगण से वादी को कब्जा दिलाने के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रतिवादीगण को बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं। वादी की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहसीलदार रायपुर, मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक .....×.....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.04.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	07	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	01	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		16	00			07	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।